पत्रांक-15/एम 1-131/11 - 1922

शिक्षा विभाग

बिहार, पटना

प्रेषक:

प्रो० (डा०) एस० एम० करीम

निदेशक, उच्च शिक्षा

सेवा में,

स्पीड पोस्ट/ फैक्स

कुलसचिव

राज्य के सभी विश्वविद्यालय

पटना, दिनांक 26/9/2014

विषय: **घाटानुदान प्राप्त महाविद्यालयों में रिक्त पदों पर शिफ्टिंग एवं समयोजन के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय पत्रांक 1728 दिनांक 03.09.2014 के संदर्भ में निदेशानुसार कहना है कि घाटानुदान प्राप्त महाविद्यालय में बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 यथा अद्तन संशोधित तथा इसके अधीन गठित परिनियमों तथा बिहार कॉलेज सेवा आयोग अधिनियम (वर्त्तमान में निरसित) के साथ-साथ बिहार राज्य आरक्षण अधिनियम में अंकित प्रावधानों के अधीन शिक्षकों के रिक्त पदों पर विधिवत नियुक्ति किये जाने के स्थान पर किसी अन्य शिक्षक का समायोजन किया जाना या पद स्थानांतरण (Shifting) करना सर्वथा विधि सम्मत नहीं है । अत: इस प्रकार के शिक्षकों के शिफ्टिंग के प्रस्ताव में राज्य सरकार की अस्वीकृति संसूचित की जाती है । इस हद तक पूर्व में निर्गत विभागीय पत्रांक 1728 दिनांक 03.09.2014 को संशोधित समझा जाय ।

विश्वासभाजन,

Karim 25/9/14

(डा० एस०एम० करीम)

निदेशक, उच्च शिक्षा